संख्या-26/2022/280/सैंतीस-2-2022-1(72)/03

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 मार्च, 2022

विषय :- **गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-44/पशुधन-2/22/1/4/2021-22, दिनांक-28.02.2022 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-87/2021/1240/सैंतीस-2-2020-1(72)/03, दिनांक-02.08.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-385.00 लाख (रूपये तीन करोड़ पच्चासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
39-औषधि तथा रसायन	80.00
42-अन्य व्यय	20.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	285.00
योग-	**385.00**

(रूपये तीन करोड़ पच्चासी लाख मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
4. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
6. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
10. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-26/2022/280(1)/सैंतीस-2-2022- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-26/2022/280/सैंतीस-2-2022-1(72)/03, दिनांक-21 मार्च, 2022 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (वित्तीय वर्ष 2021-22) (स्वीकृत धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	1.12000	0.28000	5.86560	7.26560
2	बागपत	1.12000	0.28000	2.10000	3.50000
3	गाजियाबाद	1.12000	0.28000	2.03040	3.43040
4	गौतमबुद्धनगर	1.12000	0.28000	1.86120	3.26120
5	बुलन्दशहर	1.12000	0.28000	6.09120	7.49120
6	हापुड़	1.12000	0.28000	2.93280	4.33280
7	सहारनपुर	1.12000	0.28000	4.68120	6.08120
8	मुजफ्फरनगर	1.12000	0.28000	4.00000	5.40000
9	शामली	1.12000	0.28000	3.44040	4.84040
10	मुरादाबाद	1.12000	0.28000	4.28640	5.68640
11	अमरोहा	1.12000	0.28000	2.00960	3.40960
12	रामपुर	1.12000	0.28000	2.53800	3.93800
13	बिजनौर	1.12000	0.28000	3.77880	5.17880
14	सम्भल	1.12000	0.28000	1.70840	3.10840
15	बरेली	1.12000	0.28000	3.72240	5.12240
16	बदायूं	1.12000	0.28000	4.00440	5.40440
17	शाहजहांपुर	1.12000	0.28000	3.38400	4.78400
18	पीलीभीत	1.12000	0.28000	2.53800	3.93800
19	अयोध्या	1.12000	0.28000	2.48160	3.88160
20	अम्बेडकर नगर	1.12000	0.28000	7.31240	8.71240
21	सुल्तानपुर	1.12000	0.28000	4.45560	5.85560
22	बाराबंकी	1.12000	0.28000	8.26040	9.66040
23	अमेठी	1.12000	0.28000	4.62480	6.02480
24	गोण्डा	1.12000	0.28000	3.83520	5.23520
25	बलरामपुर	1.12000	0.28000	1.04320	2.44320
26	बहराइच	1.12000	0.28000	3.66600	5.06600

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	श्रावस्ती	1.12000	0.28000	0.90240	2.30240
28	बस्ती	1.12000	0.28000	5.60960	7.00960
29	संतकबीर नगर	1.12000	0.28000	2.08680	3.48680
30	गोरखपुर	1.12000	0.28000	5.92200	7.32200
31	महराजगंज	1.12000	0.28000	3.21480	4.61480
32	देवरिया	1.12000	0.28000	3.60960	5.00960
33	कुशीनगर	1.12000	0.28000	5.60960	7.00960
34	प्रयागराज	1.12000	0.28000	11.52680	12.92680
35	कौशाम्बी	1.12000	0.28000	2.19960	3.59960
36	फतेहपुर	1.12000	0.28000	4.90680	6.30680
37	प्रतापगढ	1.12000	0.28000	5.69640	7.09640
38	झांसी	1.12000	0.28000	2.31240	3.71240
39	ललितपुर	1.12000	0.28000	2.87640	4.27640
40	जालौन	1.12000	0.28000	1.90040	3.30040
41	बांदा	1.12000	0.28000	2.00000	3.40000
42	चित्रकूट	0.50000	0.17500	0.30000	0.97500
43	हमीरपुर	1.12000	0.28000	6.48160	7.88160
44	महोबा	1.12000	0.28000	1.52280	2.92280
45	लखनऊ	1.12000	0.30000	4.39920	5.81920
46	उन्नाव	1.12000	0.28000	5.58360	6.98360
47	रायबरेली	1.12000	0.28000	4.34280	5.74280
48	हरदोई	1.12000	0.28000	7.97840	9.37840
49	सीतापुर	1.12000	0.28000	6.45560	7.85560
50	खीरी	1.12000	0.28000	4.17360	5.57360
51	आजमगढ	1.12000	0.28000	6.31680	7.71680
52	मऊ	1.12000	0.28000	5.32760	6.72760
53	बलिया	1.12000	0.28000	5.75280	7.15280
54	वाराणसी	1.12000	0.28000	0.41760	1.81760
55	जौनपुर	1.12000	0.28000	4.56840	5.96840
56	चन्दौली	1.00000	0.28000	4.19960	5.47960
57	मिर्जापुर	1.00000	0.28000	3.15840	4.43840
58	सोनभद्र	1.00000	0.28000	2.25600	3.53600
59	संतरविदास नगर	1.00000	0.28000	1.18440	2.46440
60	कानपुर नगर	1.00000	0.36500	4.32760	5.69260

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

61	**कानपुर देहात**	1.00000	0.28000	4.85040	6.13040
62	**फर्रूखाबाद**	1.00000	0.28000	2.98920	4.26920
63	**इटावा**	1.00000	0.28000	3.44040	4.72040
64	**औरैया**	1.00000	0.28000	0.50240	1.78240
65	**आगरा**	1.20000	0.28000	6.28640	7.76640
66	**मथुरा**	1.00000	0.28000	4.28640	5.56640
67	**मैनपुरी**	1.20000	0.28000	4.34280	5.82280
68	**फिरोजाबाद**	1.20000	0.28000	5.89160	7.37160
69	**एटा**	1.20000	0.28000	4.11720	5.59720
70	**अलीगढ**	3.10000	0.40000	9.98280	13.48280
71	**हाथरस**	1.12000	0.28000	2.53800	3.93800
योग-		**80.00000**	**20.00000**	**285.00000**	**385.00000**

(रूपये तीन करोड़ पच्चासी लाख मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।